UPJB010005522025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस.सी/एस.टी) एक्ट, अमरोहा।

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती शैलजा राठी(उच्चतर न्यायिक सेवा)

रामू उर्फ राजू बनाम प्रमोद आदि।

परिवाद सं०– 12/2025

थाना–रहरा, जिला अमरोहा।

आदेश

दिनांकः-01.06.2026

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गई। बार-बार पुकार पर परिवादी अनुपस्थित, न ही उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है तथा न ही उसकी ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली बयान अंतर्गत धारा-223 बी.एन.एस.एस. हेतु नियत है, किन्तु परिवादी उपस्थित नहीं है। परिवादी को अनेक बार अन्तिम अवसर दिया जा चुका है।

2. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली विगत कई तिथियों से बयान अंतर्गत धारा–223 बी.एन.एस.एस. के स्तर पर नियत है। पत्रावली में परिवादी न ही स्वयं उपस्थित आ रहा है और न ही जरिये अधिवक्ता कोई हाजिरी माफी/स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, और न ही धारा 225 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत साक्षीगण के बयान कराये गये हैं। उक्त परिस्थितियों में असम्पुष्ट, असमर्थित परिवाद कथानक के आधार पर साक्षियों के बयान के अभाव में विपक्षीगण को तलब किये जाने हेतु पत्रावली पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और कार्यवाही करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अतः परिवादी रामू उर्फ राजू का परिवाद अंतर्गत धारा 226 बी.एन.एस.एस. निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी रामू उर्फ राजू का परिवाद अंतर्गत धारा 226 बी.एन.एस.एस. निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

शैलजा राठी
Id. No:–UP2643
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी. एक्ट)
अमरोहा।

Digitally signed by SHAILJA RATHI
Date: 2026.06.01 16:56:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court